

न्यायालय, द्वितीय अपर सिविल जज(सी०डि०)/

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

फौजदारी वाद सं०-635/2021

Reg.No.-292/2026

सरकार

बनाम

तेजपाल

धारा-60(1)आबकारी अधिनियम

थाना-मिलक, जिला रामपुर।

मु०अ०सं०-228/2021

आदेश

दिनांक-25.05.2026

निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र

प्रार्थी/अभियुक्त तेजपाल की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-228/2021, थाना-मिलक, जिला रामपुर के मामले में धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया और उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी दिनांक-22.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी के पास से दर्शायी गयी बरामदगी झूठी व फर्जी है। पुलिस प्रार्थी को मुखबिर बनने का दबाव बना रही थी और प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसे उक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी अपनी जमानत हेतु जमानती प्रस्तुत करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त एन०बी०डब्लू० पर दिनांक-22.05.2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है। प्रार्थी उक्त मामले में पूर्व में जमानत पर है तथा प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती वीरवती का शपथ पत्र दाखिल किया है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर एवं इस शर्त पर कि प्रार्थी नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(संजय कुमार सिंह-IV)
द्वितीय अपर सिविल जज(सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

J.O.Code-UP2541